पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या —29/2025

अनवान :

1.मदनाराम पुत्र मूलगिर जाति गुसाई निवासी मिर्जावाली गैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.बजरंगलाल पुत्र मूलाराम जाति गुसाई निवासी मिर्जावाली गैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1.विमला पुत्री मूलाराम पत्नी बलराम जाति गुसाई निवासी कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरि0।

2.तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः—1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़ :—वादीगण

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा :—प्रतिवादीया

डिक्री दिनांक 31/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.कि वादी सं0 1 मदनाराम को प्राप्त आराजीः—चकनं0 6 बी.आरएन के प0न0 210/385 मु0 22 किलानं0 6/.095, 7,8/.506, 15/.240, 16/.253, 25/.140 है0, प0न0 211/385 मु0 23 किलानं0 10/2/.120, 21/.253 है0

ख.वादीसं0 2 बजरंगलाल को प्राप्त आराजीः— चकनं0 6 बी.आर.एन के प0न0 210/385 मु0 22 किलानं0 3/1/.228, 4/3/.215, 6/1/.158 है0 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम, 14/.253, 17/.253, 24/.253, 25/.107 है0 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण, प0न0 211/385 मु0 23 किलानं0 1/1/.013, 10/1/.120, प0न0 210/385 मु0 22 किला नं0 15/.013 है0 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम

सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

म.वादीगण सं0 1 मदनाराम व वादी सं0 2 बजरंगलाल को ब0हि0भा0 प्राप्त आराजी– चकनं0 6 बी.आर.एन के मु0नं0 211/385 मु0 23 किलानं0 10/3/.013 है0 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम किये जाने तथा चक नं0 6 बीआरएन के खाता सं0 115/107 मे से सावित्री का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी